(c) Some of the steps in this behalf are :—

(a) Use of enhanced oil recovery techniques;

(b) intensification of work over operations;

(c) intensification of exploration in less precisely known geological regions which may eventually lead to enhanced production; and

(d) induction of advanced technology.

**Exploration of oil and gas in the country**

89. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE :
SHRI H. L. KAPUR :

Will the Minister of PETROLEUM be pleased to state :

(a) what are the areas where oil and gas have been struck in the recent past in the country; and

(b) what are the proposals under Government's consideration for improving exploration of oil and gas in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM (SHRI NAWAL KISHORE SHARMA) : (a) Oil and gas have been found at following places during the period April, 1984 to December, 1984:—

| Name of Place | Oil/Gas |
|---|---|
| *Onshore* | |
| Dahej-Gujarat | Oil |
| Changmaigaon-Assam | Oil |
| Rokhia-Tripura | Gas |
| Kaikulr-Andhra Pradesh | Gas |
| *Offshore West Coast* | |
| B-148 | Oil |
| KDI | Oil |

(b) The proposals *inter-alia* include—

(1) introduction of new seismic exploration technology;

(2) intensive exploration of areas with known hydrocarbon potential;

(3) extensive exploration of areas in less precisely known geological regions;

(4) induction of advanced technology and increased use of computers for data processing.

**उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले**

90. **श्री वीरेन्द्र वर्मा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में तीन, पांच और दस वर्ष से अधिक के अलग-अलग कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं और इसके क्या कारण है ; और

(ख) क्या देश की गरीबी को ध्यान में रखते हुए उनका मंत्रालय अनिर्णीत मामलों का शीघ्र निपटान कराने के लिए और जनता को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिए किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रहा है या विचार करने का प्रस्ताव रखता है ?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन)** : (क) उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्री ने जो जानकारी भेजी है वह संलग्न विवरण 1 में दी गई है । मामले लम्बित होने के कई जटिल कारण हैं ।

(ख) सरकार जनता को शीघ्रता से और सरलता से न्याय उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह सजग है । इस विषय में निरन्तर विचार किया जा रहा है । 9वें विधि आयोग ने उच्च न्यायालयों और अन्य अपीली न्यायालयों में विलम्ब और बकाया मामलों पर अपनी 79वीं रिपोर्ट में इस समस्या पर चर्चा की है । इस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को, उनकी ओर से कार्रवाई की जाने के लिए, भेज दी गई हैं ।

सरकार ने 10वें विधि आयोग की भी नियुक्ति की है जिसके विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित है:—